

प्रपत्र संख्या-43ए(1)  
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

- उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा ..... भारतीय स्टेट बैंक शाखा गोण्डा
1. जिस व्यक्ति(पदनाम यदि आवश्यक हो)या ..... डा० दीपक स्वरूप सक्सेना  
संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है ..... जनपद न्यायाधीश, गोण्डा  
उसका नाम .....  
2. पता ..... जनपद न्यायालय, गोण्डा
3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या ..... राजकीय बाइन सं० UP4360414 का  
(यदि आवश्यक हो) अनुमन्य सीमा ये 136 किमी आधिक  
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण ..... निजी प्रयोग हेतु संचालित किये जाने पर  
(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा 3/- प्रति किमी की दर से G.V. रिवा  
किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।) धुगतान
5. चालान की सकल राशि ..... 408=00
6. चालान की निवल राशि ..... 408=00
7. लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर ..... 0070-60-800-05-00
8. लेखाशीर्षक का 13 डिजिट कोड ..... 0070-60-800-05-00


मुख्य लेखा-शीर्षक 0070    उप मुख्य शीर्षक 60    लघु शीर्षक 800    उप शीर्षक 05    व्यौरेवार शीर्ष 00    धनराशि शब्दों में

धनराशि (शब्दों में) चार सौ आठ हजार मात्र  
चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले  
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित  
केन्द्रीय नाजिर  
जनपद न्यायालय  
गोण्डा  
योग 408=00

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ DISTRICT JUDGE  
GONDA

चालान संख्या : B.880065

दिनांक :



प्राप्त किया  
उपकोषागार/बैंक की मुहर